

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 अगस्त 2018—श्रावण 23, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य, विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2018

फा. क्र. 01-वि. निर्वा.-3-2018-159.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

1. No. 23/MP/2018(Special) dated 10th August, 2018
2. संख्या 23/म.प्र./2018 (विशेष) दिनांक 10 अगस्त, 2018.

संदीप यादव, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2018—19 श्रावण, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं. 23-म. प्र.-2018 (विशेष),—यतः, आयोग ने दिनांक 7 मई 2018 के अपने पत्र संख्या 23-पत्र प्रकार्या.-ई आर डी-ई आर-2018 के द्वारा 1 जनवरी 2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, मध्यप्रदेश राज्य की निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यतः, मध्यप्रदेश राज्य में दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से 21 अगस्त, 2018 (मंगलवार) तक नियत की गई थी; और

यतः, राज्य में प्रारूप नामावलियां 31 जुलाई, 2018 को प्रकाशित कर दी गई थीं; और

यतः, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि को 31 अगस्त, 2018 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए;

अतः, अब आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी 2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, निर्वाचक नामावलियों के चल रहे द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए, मध्यप्रदेश राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख को 31 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) तक विस्तारित करता है।

आदेश से,  
हस्ता./-  
( अनुज जयपुरियार )  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 10th August, 2018—19 Shrawana, 1940 (SAKA)

### NOTIFICATION

No. 23-MP-2018-(Special),—WHEREAS, the Commission had announced the schedule for Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1<sup>st</sup> January 2018 as the qualifying date, of Madhya Pradesh State, *vide* its letter No. 23-LET-ECI-FUNC-ERD-ER-2018, Dated 7<sup>th</sup> May 2018; and

WHEREAS, the period for filing claims and objections in Madhya Pradesh State was originally fixed from 31st July, 2018 (Tuesday) to 21st August, 2018 (Tuesday); and

WHEREAS, the draft rolls were published on 31st July, 2018 in the State; and

WHEREAS, the Commission has decided that the period for filing claims & objections should be extended up to 31st August, 2018;

NOW, THEREFORE, the Commission, in exercise of the power conferred by the provision to Rule 12 of the Registration of Electoral Rules, 1960, extends for all Assembly Constituencies in the state of Madhya Pradesh, the period of filing claims & objections upto 31st August, 2018 (Friday) for the ongoing Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 1<sup>st</sup> January 2018 as the qualifying date.

By order,  
Sd./-  
(ANUJ JAIPURIAR)  
Principal Secretary,  
*Election Commission of India.*